भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-12

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

उच्च क्षमता वाली कोयला-आधारित विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकी

***12. श्री वी. पी. सिंह बदनौरः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्युत उत्पादन के लिए नई उच्च क्षमता वाली कोयला-आधारित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ख) हमारे देश में इस प्रकार की उत्कृष्ट स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितनी कमी होने की संभावना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"उच्च क्षमता वाली कोयला-आधारित विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकी" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी से कोयला प्रज्वलित विद्युत उत्पादन की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलती है। 247 कि.ग्रा./वर्ग सें.मी.; 565/593 डिग्री से. के सामान्यतः अपनाए गए स्टीम पैरामीटरों वाली सुपर क्रिटिकल यूनिट की डिजाइन दक्षता 500 मेगावाट सब-क्रिटिकल यूनिट की डिजाइन दक्षता की तुलना में लगभग 5% अधिक होती है। इन (सुपरक्रिटिकल) यूनिटों में तद्नुरूपी ईंधन खपत और कार्बनडाइ ऑक्साइड उत्सर्जन की संभावना कम होती है। सुपरक्रिटिकल यूनिटों की दक्षता लगभग 40% होती है।

देश में दिनांक 24.11.2015 की स्थिति के अनुसार, लगभग 28,805 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 42 सुपरक्रिटिकल यूनिटें (660/800 मेगावाट), चालू की जा चुकी हैं तथा लगभग 49,000 मेगावाट निर्माणाधीन हैं।

(ख) : इन प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने से कार्बनडाइ ऑक्साइड उत्सर्जन में आने वाली कमी 38-55 ग्राम/कि.वा.घं. विद्युत उत्पादन की रेंज में होती है। देश में सुपरक्रिटिकल यूनिटों की संस्थापना से तथा उनके तद्नुरूपी संचयी उत्पादन से, दिनांक 30.09.2015 तक कार्बनडाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन में कुल 10.51 मिलियन टन की कमी आई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-13

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

समेकित विद्युत विकास योजना

***13. श्री रंजिब बिस्वालः**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में समेकित विद्युत विकास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य क्या-क्या हैं;

(ग) देश में विशेषकर ओडिशा और महाराष्ट्र में आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले शहरों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"समेकित विद्युत विकास योजना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 13 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी हां। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में दिनांक 18 सितंबर, 2015 को "समेकित विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस) की शुरूआत की।

(ख) : भारत सरकार ने 32,612 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय तथा 25,354 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से दिनांक 20.11.2014 को समेकित विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) अनुमोदित की थी। पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को अब आईपीडीएस के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है और 12वीं और 13वीं योजना के लिए 22,727 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 44,011 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय को नई स्कीम आईपीडीएस में अग्रेनीत किया गया है।

इस स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाना है। आईपीडीएस के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

(i) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।
(ii) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
(iii) आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत चलाए जा रहे वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण।

(ग) : अब तक, 3406 नगरों के लिए परियोजनाओं को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी गई है। इसमें महाराष्ट्र के 255 नगर शामिल हैं। ओडिशा के डिस्कॉमों ने 112 नगरों के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं।

(घ) और (ङ) : आईपीडीएस स्कीम में अवार्ड-पत्र जारी किए जाने की तारीख से 24 माह की अवधि के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने का प्रावधान है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-15

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पतरातू विद्युत संयंत्र का पुनरुद्धार

***15. श्री संजीव कुमारः**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत में सभी बिजली उत्पादक राज्यों में झारखंड में बिजली संयंत्र उद्धार गुणक सबसे कम है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पतरातू विद्युत संयंत्र का पुनरुद्धार करने के लिए झारखंड राज्य सरकार के साथ किसी सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) इसके लिए निर्धारित समय-सीमा तथा लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) क्या झारखंड में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मध्यम अवधि में पतरातू विद्युत संयंत्र का और अधिक विस्तार करने के बारे में विचार कर रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पतरातू विद्युत संयंत्र का पुनरुद्धार" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी हां। झारखंड में स्थित विद्युत संयंत्र में भारत के सभी विद्युत उत्पादक राज्यों में से एक न्यूनतम संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) है। अप्रैल-अक्तूबर, 2015 की अवधि के दौरान झारखंड में स्थित विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ 29.22% था।

(ख) : एनटीपीसी ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए दिनांक 03 मई, 2015 को झारखंड सरकार, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लि., झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लि. एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लि. के साथ एक करार-ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात, दिनांक 29 जुलाई, 2015 को संयुक्त उद्यम करार (जेवीए) पर हस्ताक्षर किए गए तथा दिनांक 15.10.2015 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी, नामतः "पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लि." का निगमीकरण कर दिया गया है।

जेवीसी का मुख्य उद्देश्य निष्पादन कर रही मौजूदा यूनिटों और इनसे जुड़ी टाई-लाइनों, उपकेंद्रों तथा मुख्य विद्युत पारेषण लाइनों का अधिग्रहण, स्थापना, प्रचालन, रख-रखाव, संशोधन, नवस्वरूपीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना और नई इकाइयों की स्थापना करना है।

(ग) : संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रयास है कि वह केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापना लागत के संबंध में अनुमोदन प्रदान किए जाने के अध्यधीन, परिसंपत्ति के अंतरण की तिथि से छः माह के भीतर, इस संयंत्र के निष्पादन में सुधार करे।

(घ) : जेवीसी ने दो चरणों में क्षमता विस्तार की योजना बनाई हैः

- चरण-I (3X800 मेगावाट)
- चरण-II (2X800 मेगावाट - मौजूदा यूनिटों को विखंडित करने के पश्चात)।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-80

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाएं

***80. कुमारी शैलजाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 अक्तूबर, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा राज्य-वार कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) 31 अक्तूबर, 2015 की स्थिति के अनुसार कितनी जल विद्युत परियोजनाएं मंजूरी हेतु लंबित हैं तथा ऐसी प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से किन-किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 31 अक्तूबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, देश में जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए राज्यवार उत्पादित कुल विद्युत **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) और (ग) : 31 अक्तूबर, 2015 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सहमति के लिए लंबित योजनाओं का ब्यौरा ऐसी प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता और इन परियोजनाओं की मंजूरी मिलने से लाभांवित होने वाले संभावित राज्यों सहित **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य	**मिलियन यूनिट में उत्पादन**
	2015-16 (अप्रैल-अक्तूबर, 15)
बीबीएमबी	8148.98
हिमाचल प्रदेश	23039.93
जम्मू व कश्मीर	10918.3
पंजाब	3109.32
राजस्थान	361.71
उत्तर प्रदेश	727.72
उत्तराखंड	9428.51
छत्तीसगढ़	263.31
गुजरात	2353.53
मध्य प्रदेश	2911.88
महाराष्ट्र	3245.06
आंध्र प्रदेश	290.75
कर्नाटक	5387.87
केरल	4205.48
तमिलनाडु	2548.02
तेलंगाना	773.47
डीवीसी	168.49
झारखंड	51.28
ओडिशा	3709.27
सिक्किम	2752.68
पश्चिम बंगाल	1323.36
अरुणाचल प्रदेश	1054.93
असम	904.06
मणिपुर	333.13
मेघालय	866.79
नागालैंड	139.63
भूटान आयात	**4812.79**
हाइड्रो कुल	**93830.25**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

परीक्षणाधीन हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीमों की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	विकासकर्ता/एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य
1	किरू	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लि.	624	जे एंड के., एचपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली
2	कवार	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लि.	540	जे एंड के., एचपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली
3	किरथई- I	जेकेएसपीडीसी	390	जे एंड के
4	स्वालकोट	जेकेएसपीडीसी	1856	जे एंड के
5	सेली	सेली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कं. लि.	400	हिमाचल प्रदेश और राज्यों ने विकासकर्ता के साथ पीपीए किया।
6	सच खास	एल एंड टी हिमाचल हाइड्रो पावर लिमिटेड	267	हिमाचल प्रदेश और राज्यों ने विकासकर्ता के साथ पीपीए किया।
7	जेलम टमक	टीएचडीसीएल	108	जे एंड के., एचपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली
8	संकोश	टीएचडीसीएल	2585	अभी निर्णय लिया जाना है
9	बोवाला नंद प्रयाग	यूजेवीएनएल	300	उत्तराखंड
10	टगुरशिट	एल एंड टी अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो पावर लिमिटेड	74	अरुणाचल प्रदेश और राज्यों ने विकासकर्ता के साथ पीपीए किया।
11	कमला (सुबानसिरी मिडिल)	कमला हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड (केएचईपीसीएल)	1800	अरुणाचल प्रदेश और राज्यों ने विकासकर्ता के साथ पीपीए किया।
12	अट्टुनली	अट्टुनली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	680	अरुणाचल प्रदेश और राज्यों ने विकासकर्ता के साथ पीपीए किया।
13	लोअर कोपिली	असम पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	120	असम
14	उम्नगोट	मेघालय पावर जेनरेशन कारपो. लिमिटेड	210	मेघालय
15	डगमारा	बीएसएचपीसीएल	130	बिहार
16	लोकटक डी/एस	एनएचपीसी	66	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम
	कुल		**10150**	

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-81

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

पश्चिमी बंगाल में विद्युत संयंत्र संस्थापित किया जाना

81. डॉ. कनवर दीप सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में अनेक विद्युत संयंत्र स्थापित/प्रस्तावित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कई परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी हां। पश्चिमी बंगाल में स्थापित की जा रही विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ङ) : देश के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के समन्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय में निम्नलिखित प्रबोधन तंत्र मौजूद हैः

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 के खंड 73 (च) के अनुसरण में विद्युत परियोजनाओं का प्रबोधन करता है। बार-बार स्थल का दौरा करके, विकासकर्ताओं के साथ वार्तालाप

करके तथा मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की प्रगति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है। सीईए के अध्यक्ष क्रिटिकल मुद्दों का समाधान करने के लिए विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारकों के साथ समीक्षा बैठकें करते हैं।

- विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन तथा प्रबोधन करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना प्रबोधन पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया गया है।

- विद्युत मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजना विकासकर्ताओं, उपस्कर निर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/इत्यादि के साथ, निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की नियमित समीक्षा भी करते हैं तथा ऐसी परियोजनाओं की प्रगति पर प्रभाव डालने वाली बाधाओं के समाधान को सुकर बनाते हैं।

- प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रबोधन प्रणाली (ओसीएमएस) डाटाबेस पर है, से संबंधित क्रिटिकल माइलस्टोन की समीक्षा करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा गहन समीक्षाएं करवाई जाती हैं। जिन परियोजनाओं में समय तथा लागत ज्यादा हो रही है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पश्चिमी बंगाल में स्थापित/प्रस्तावित की जा रहीं विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा									
क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**विकासकर्ता**	**क्षेत्र**	**ईंधन**	**क्षमता (मेगावाट)**	**स्थिति**	**चालू होने का मूल वर्ष**	**चालू होने का अनुमानित वर्ष**	**विलंब के कारण**
1	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-I यू-2	डीवीसी	केंद्रीय	कोयला	600	निर्माणाधीन	2011-12	2015-16	1. जल एवं रेल गलियारे हेतु भूमि अधिग्रहण में विलंब। 2. आरआईएल द्वारा मुख्य संयंत्र उपकरणों की स्थापना में विलंब। 3. कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। 4.स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार काम रुकवा देना। 5. बॉटम रिंग हैडर को बदला जाना। 6. बॉयलर इंसुलेशन की क्षति के कारण विलंब।
2	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-II यू-1	डीवीसी	केंद्रीय	कोयला	660	निर्माणाधीन	2017-18	2019-20	1. मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों को शुरू करने में विलंब। 2 डीवीसी के साथ निधि संबंधी समस्या के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
3	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-II यू-2	डीवीसी	केंद्रीय	कोयला	600	निर्माणाधीन	2017-18	2020-21	
4	कटवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट	एनटीपीसी	केंद्रीय	कोयला	1600	प्रस्तावित	-	-	-
5	तीस्ता लो डैम-IV एचईपी यू-1	एनएचपीसी	केंद्रीय	हाइड्रो	40	निर्माणाधीन	2009-10	2015-16	1. वन भूमि सौंपने में तथा कार्य शुरू करने में प्रारंभिक विलंब। 2. जुलाई, 2007, मई, 2009 और जुलाई, 2010 में अचानक बाढ़। 3. गोरखा जन मुक्ति
6	तीस्ता लो डैम-IV एचईपी यू-2	एनएचपीसी	केंद्रीय	हाइड्रो	40	निर्माणाधीन	2009-10	2015-16	
7	तीस्ता लो डैम-IV एचईपी यू-3	एनएचपीसी	केंद्रीय	हाइड्रो	40	निर्माणाधीन	2009-10	2016-17	
8	तीस्ता लो डैम-IV एचईपी यू-4	एनएचपीसी	केंद्रीय	हाइड्रो	40	निर्माणाधीन	2009-10	2016-17	

पश्चिमी बंगाल में स्थापित/प्रस्तावित की जा रहीं विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा									
क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**विकासकर्ता**	**क्षेत्र**	**ईंधन**	**क्षमता (मेगावाट)**	**स्थिति**	**चालू होने का मूल वर्ष**	**चालू होने का अनुमानित वर्ष**	**विलंब के कारण**
									मोर्चा आंदोलन/बंद। 4. सिविल ठेकेदार (मैसर्स एचसीसी) के कैश-क्रंच के कारण, सिविल निर्माण कार्य मार्च, 2013 से नवंबर, 2014 तक रुके रहे।
9	रम्माम-III यू 1-3	एनटीपीसी	केंद्रीय	हाइड्रो	120	निर्माणाधीन	2019-20	2019-20	-
10	सागरदिघी टीपीएस-II, यू-3	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	कोयला	500	निर्माणाधीन	2014-15	2015-16	1. बीटीजी सामग्री की स्थापना तथा आपूर्ति में धीमी प्रगति 2. वैद्युत स्थापना कार्य का आदेश देने में विलंब। 3. सीएचपी, एएचपी, पीटी एवं डीएम संयंत्र की धीमी प्रगति।
11	सागरदिघी टीपीएस-II, यू-4	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	कोयला	500	निर्माणाधीन	2014-15	2016-17	
12	बकरेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक्सटें. यू-6	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	कोयला	600	प्रस्तावित	-	-	-
13	तुर्ग पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	हाइड्रो	1000	प्रस्तावित	-	-	-
14	हल्दिया टीपीपी यू-1	इंडिया पावर कारपो. (हल्दिया) लि.	निजी	कोयला	150	निर्माणाधीन	-	2016-17	-
15	हल्दिया टीपीपी यू-2	इंडिया पावर कारपो. (हल्दिया) लि.	निजी	कोयला	150	निर्माणाधीन	-	2016-17	-
16	हल्दिया टीपीपी यू-3	इंडिया पावर कारपो. (हल्दिया) लि.	निजी	कोयला	150	निर्माणाधीन	-	2016-17	-

टीपीपी : थर्मल पावर प्रोजेक्ट

डीवीसी : दामोदर वैली कारपोरेशन

एनटीपीसी : नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

एनएचपीसी : नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन

डब्ल्यूपीडीसीएल : वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-82

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

82. श्री अहमद पटेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यू.डी.ए.वाई.) से भारत को 24/7 विद्युत प्राप्त करने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से डिस्कॉम्स को उधार दी गई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां किस प्रकार प्रभावित होंगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) स्कीम विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय एवं प्रचालन क्षमता को सुधारने के लिए शुरू की गई है। इसमें ब्याज का बोझ, विद्युत की लागत और एटीएंडसी हानियां कम करने की परिकल्पना की गई है। इसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत की निरंतर आपूर्ति कर सकेंगी और 24x7 विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ होंगी।

(ग) : इस स्कीम में व्यवस्था है कि राज्य दो वर्षों में डिस्कॉम्स के 30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार कर्ज का 75 प्रतिशत ले लेंगे। इसके बाद बैंक डिस्कॉम की हानियों का वित्त पोषण नहीं करेंगे। अतः अनुप्रयोज्य परिसंपत्ति का प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-83

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

वृहद विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

83. श्री तपन कुमार सेनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वृहद विद्युत परियोजनाओं (यू.एम.पी.पी.) की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके द्वारा उत्पादित/संभावित रूप से उत्पादित की जाने वाली विद्युत की मात्रा कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को वृहद विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के आवंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अब तक चार यूएमपीपी अर्थात मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुन्द्रा, आन्ध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखण्ड में तिलैया सफल बोलीदाताओं को अवार्ड की गई हैं। मुन्द्रा और सासन यूएमपीपी पूर्णतया चालू हो चुकी हैं। अवार्ड की गई यूएमपीपी की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है। विगत चार वर्षों में चालू हो चुकी यूएमपीपी द्वारा विद्युत उत्पादन की मात्रा **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ख) : यूएमपीपी से विद्युत के आबंटन का निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। 50% तक विद्युत अग्रणी खरीददार अर्थात उस राज्य को आबंटित की जाती है जिसमें यूएमपीपी स्थित है। इसके अतिरिक्त, विद्युत का आबंटन किसी क्षेत्र विशेष में परियोजना की स्थिति, विद्युत कमी, पारेषण अवसंरचना की उपलब्धता और उस राज्य विशेष को विद्युत के आबंटन के अनुपात में स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में इक्विटी अंशदान इत्यादि पर आधारित होता है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम एवं क्षमता	स्थान	स्थिति
1.	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सासन	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
2.	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	जिला कच्छ, गुजरात में ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 24.04.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3.	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 29 जनवरी, 2008 को अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर काम रोक दिया है। खरीददारों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4.	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड में तिलैया गाँव के निकट	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को अवार्ड की गई और 07 अगस्त, 2009 को अंतरित की गई। विकासकर्ता, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लि. (जेआईपीएल, आरपीएल की एक सहायक कंपनी) ने दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) की समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया है। आरपीएल द्वारा दिए गए समाप्ति नोटिस पर चर्चा करने हेतु प्रापकों की पिछली बैठक दिनांक 03.11.2015 को आयोजित की गई थी।

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

चालू की जा चुकी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं द्वारा पिछले चार वर्षों में उत्पादित विद्युत की मात्रा

यूएमपीपी का नाम	**मॉनीटर की गई क्षमता (मेगावाट)**	**उत्पादन (मिलियन यूनिट में)**				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल -अक्तूबर, 15)
मुंद्रा यूएमपीपी	4000	179.86	12440.39	23927.8	26577.6	14753.77
सासन यूएमपीपी	3960			2938.95	17273.83	17497.46

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-84

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

उदय (यू.डी.ए.वाई.) के तहत डिस्कॉम्स के ऋणों की पुनर्संरचना

84. प्रो. एम. वी. राजीव गौडाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आर्थिक मंदी में डिस्कॉम्स (डी.आई.एस.सी.ओ.एम.एस.) के ऋणों की स्वेच्छा से पुनर्संरचना के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यू.डी.ए.वाई.) में कोई प्रोत्साहक उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अतीत में इस प्रकार की दो योजनाओं के कारगर न होने को देखते हुए, डिस्कॉम ऋण पुनर्संरचना के पूर्व प्रयासों से उक्त यू.डी.ए.वाई. योजना किस प्रकार से भिन्न है;

(घ) क्या ग्राहकों के लिए कीमतों पर यू.डी.ए.वाई. योजना के लघु-अवधि प्रभाव को समझने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ, उदय में राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके ऋणों की स्वैच्छिक पुनर्संरचना के लिए अंतर्निहित प्रोत्साहन हैं। इन प्रोत्साहनों में वित्तीय घाटे की सीमाओं के बाहर राज्यों द्वारा डिस्कॉम ऋण लेना; कोयला लिंकेज यौक्तिकीकरण, उदार कोयला स्वैप, कोयला मूल्य यौक्तिकीकरण, कोयला ग्रेड स्लिपेज में करेक्शन, अधिसूचित कीमतों पर कोयला लिंकेजों का आवंटन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से विद्युत की लागत में कमी; विद्युत मंत्रालय और एम.एन.आर.आई. की स्कीमों के माध्यम से प्राथमिकता/अतिरिक्त वित्त पोषण; और ब्याज भार में कमी शामिल है।

(ग) उदय वित्तीय घाटे की सीमा के बाहर लिए गए अधिक ऋण को रखने का लचीलापन, विद्युत की लागत में कमी और प्रचालन दक्षता को सुधारने के लिए समयबद्ध मध्यवर्तन की शृंखला सहित विभिन्न तरीकों से पूर्ववर्ती पुनर्संरचना स्कीमों से भिन्न है।

(घ) और (ङ) उदय में ऐसे उपायों की व्यवस्था की गई है जिससे विद्युत उत्पादन की लागत में कमी होगी और जिससे अंततः उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-85

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

गाँवों का विद्युतीकरण

85. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 अक्तूबर, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में कितने गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और कितने गाँवों का अभी भी विद्युतीकरण किया जाना है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत सभी गाँवों का विद्युतीकरण करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के सभी गाँवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 की स्थिति के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश में 16012 जनगणना वाले गाँव विद्युतीकरण हेतु शेष हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल है, अनुमोदित की है। शीघ्र कार्यान्वयन के जरिए सभी गांवों के विद्युतीकरण को पूरा करने, कठोर एवं बहुस्तरीय निगरानी और ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण के लिए स्टेंड अलोन प्रणाली के समावेशन पर जोर दिया गया है।

(घ) : राज्यों के सहयोग से शेष सभी गांवों को 01.05.2018 के पहले विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-86

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

नई विद्युत नीति

86. श्रीमती रजनी पाटिलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एक नई विद्युत नीति का मसौदा तैयार किया है अथवा तैयार करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे किस समय-सीमा तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी नहीं, भारत सरकार ने नई विद्युत नीति का प्रारूप तैयार नहीं किया है और न ही तैयार करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने, विद्युत गुणवत्ता बनाए रखने, ग्रिड की विश्वसनीयता और सुरक्षा, अंतिम उपभोक्ता के लाभ के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रशुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से समय-समय पर विद्यमान नीतियों में संशोधन किए जाते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-87

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों के कारण प्रभावित
ट्रांसमिशन लाइनें

87. श्री हरिवंशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों के कारण ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण कितना प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या इन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण से पहले पीड़ित पक्षों को इसके निर्माण से होने वाली भावी समस्याओं की जानकारी दी जाती है;

(ग) क्या ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में मुआवजे की राशि भी ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करने वाली कंपनियां देंगी या इसका वहन केवल राज्य सरकारों को ही पूर्ण रूप से करना होगा; और

(घ) ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के कारण बिजली के मामले में सरकार को कितना वार्षिक घाटा हो रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्तमान कानून के प्रावधानों के अनुसार, पारेषण लाइन टावरों के नीचे आने वाली भूमि को अधिगृहीत किया जाना आवश्यक नहीं है और पारेषण लाइनों के निर्माण के बाद भी भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी के पास ही रहता है।

(ख) : पारेषण परियोजनाओं का, उनके अंतर्निहित स्वरूप द्वारा, पर्यावरणीय और सामाजिक विशेषताओं पर नगण्य प्रभाव होता है जिससे 'मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) सीमित होता है। तथापि, किसी पारेषण लाइन के निर्माण से पहले, जनसाधारण जिनमें वे लोग शामिल हैं जिनके इन लाइनों के निर्माण से प्रभावित होने की संभावना है, को "सार्वजनिक सूचना" के माध्यम से सूचित किया जाता है। सार्वजनिक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है और उनमें पारेषण लाइनों के प्रस्तावित मार्ग सहित गांवों/जिले (जिलों) के नाम इत्यादि का ब्यौरा दिया जाता है।

(**ग**) : पारेषण लाइसेंसी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रभावित भू-स्वामियों को निर्धारित प्रक्रिया और विद्यमान नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित प्राधिकारियों/जिला न्यायधीश (न्यायाधीशों) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार**,** मुआवजा राशि दी जाती है। राज्य सरकार प्रभावित भू-स्वामियों को बढ़ाया गया मुआवजा, यदि आवश्यक हो, तो दे सकती है।

(**घ**) : पारेषण लाइनों में विद्युत के विच्छेद के कारण विद्युत में होने वाली हानियां सरकार द्वारा वहन नहीं की जाती हैं।

****